राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल– dlbrajasthan@gmail.com

कमांक: भूमि/एफ.7(ड)( )(cm)डीएलबी/14/ दिनांक:

परिपत्र

राज्य सरकार के द्वारा स्टेट ग्रान्ट अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी पट्टो के पंजीयन के अभाव में वित्तीय संस्थाओ द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराने के सन्दर्भ में विभिन्न स्थानीय निकायो द्वारा अवगत करवाया गया है।

इस संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया। वित्त विभाग ने प्रकरण का परीक्षण उनकी पत्रावली कमांक प.5(79)वित्त/कर/2015 पर परीक्षण कर आई.डी.संख्या 101600876 दिनांक 28.03.2016 के द्वारा निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया गया है:–

1. दस्तावजों का पंजीयन, पंजीयन अधिनियम, 2908 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 17 (2) (vii) सपठित धारा 18 (f) के अनुसार स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत जारी पट्टों का पंजीयन अनिवार्य नहीं होकर वैकल्पिक है। पक्षकार चाहें तो पट्टे का पंजीयन करा सकते हैं ऐसे पट्टों के पंजीयन पर रोक नहीं है।
2. दस्तावेजों के पंजीयन की अवधि के संबंध में पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 में प्रावधान है कि दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से 4 माह की अवधि में दस्तावेज का पंजीयन कराया जा सकता है एवं धारा 25 में प्रावधान है कि पैनल्टी का भुगतान कर अगले चार माह में दस्तावेज पंजीकृत कराया जा सकता है। दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से 8 माह पश्चात् दस्तावेज के पंजीयन के प्रावधान नहीं हैं।
3. जहां तक स्टेट ग्राण्ट के पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रश्न है, राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक. 49(4)RS/53 दिनांक:15.02.1955 के द्वारा ऐसे पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी की पूर्ण छूट प्रदान की गई है। ऐसे पट्टों पर पंजीयन शुल्क भी केवल 100/–रूपये देय है।
4. जहां तक पूर्व में जारी पट्टो का संबंध है यदि कोई पट्टाधारी उक्त पट्टे का पंजीयन करवाना चाहे तो उक्त पट्टे का पुनः निष्पादन किया जाकर पुनः निष्पादन दिनांक से 4 माह की अवधि में धारा 23 पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पंजीयन करवाया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही स्टेट ग्राण्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत जारी पट्टो के संबंध में की जावे तथा इस संबंध में लोगो को जागरूक भी किया जावे ताकि उन्हें ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त हो सके।

यह आदेश वित्त विभाग की पत्रावली कमांक प.5(79)वित्त/कर/2015 एवं वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101600876 दिनांक 28.03.2016 के अनुसरण में प्रसारित किया जा रहा है।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

कमांक:भूमि/एफ.7(ड)( )(cm)डीएलबी/14/3979-4229 दिनांक: 31/5/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान।
03. संयुक्त सचिव(एएस)मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान को उनके पत्रांक मुमं. उस(एएस)प–1स्वाय/राज/14/61020 दिनांक 19.09.14 के कम में प्रेषित है।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
05. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त उप–पंजीयकों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान करावें।
06. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
07. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकायें,राजस्थान।
08. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक